वित्तीय स्वीकृति

संख्या-२६/२०१८/1606/52-3-18-बजट(6)/2018

प्रेषक,

भवेश रंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक १० अगस्त, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1886/अ0स0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि/ 2018-19, दिनांक 27.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस -2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्रस्तर-2(5) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु मानक मद सं0-20-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुदान मद हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 2117.31 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1456.43 लाख में से दो माह हेतु रू0 4,00,00,000/- (रू0 चार करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 31.12.2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को दिनांक 30.11.2018 तक देय का भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(6) यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध में मदरसा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पोर्टल पर उपलब्ध सूचना का मिलान करते हुये नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- 03-मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस -2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव

संख्या-1606(1)/52-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।